

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी

दीप्ती


बनाम

अर्जुनलाल

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

म मुकदमा :- 212 R.T.A. च

नंबर 56 वर्ष 2023

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>परावली तलब की गयी। प्रार्थी सं. 1, 2 उपस्थित, जिनकी पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गयी। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 C.P.C. वास्ते प्रकरण को लोक अदालत की भावना से विद्वा करणे बाबत पेश किया, जिस पर वादी व वकील वादी को सुना गया। चूंकि प्रकरण को वादीगण विद्वा करना चाहत है, अतः वादीगण का वाद जरिये विद्वा ल खारिज किया जाता है।</p> <p>परावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	<p>जारा दीप्ती</p> <p>↓</p>  <p>By me</p> <p>दीप्ती</p>